



जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर बनने का सुनहरा अवसर

व्यापारियों तथा उद्यमियों की सहायता के लिए जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर बनें

जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर बनने हेतु योग्यता (निम्न में से कोई एक) :

- ✓ किसी भी राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग अथवा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी
- ✓ वाणिज्य (B.Com/M.Com.), विधि (LLB), उच्च ऑडिटिंग सहित बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेन्ट (MBA) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री
- ✓ सी०ए० अथवा सी०एस०

जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर के कार्य

आउटवर्ड और इन्वर्ड सप्लाय का विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करना

मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक तथा फाइनल रिटर्न प्रस्तुत करना

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हेतु डिपॉजिट करना

रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन/निस्तीकरण हेतु आवेदन करना

रिफण्ड के क्लेम हेतु आवेदन करना इत्यादि

जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर के रूप में एनरोल करने हेतु gst.gov.in पर जाएँ और 'GST प्रैक्टिशनर एनरोलमेंट लिंक' पर क्लिक करें।

जी०एस०टी० में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करने, रिटर्न दाखिल करने इत्यादि कार्यों हेतु विभाग द्वारा लखनऊ में जी०एस०टी० प्रैक्टिशनर का प्रशिक्षण कराया जायेगा एवं जीएसटीएन पोर्टल पर ऑनलाइन कार्य करने की हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग दी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

ई-मेल cthelplineu@up.nic.in

वेबसाइट www.comtax.up.nic.in

हेल्पलाइन 0522-3312600, 2721944

[comtaxupgst](https://www.facebook.com/comtaxupgst)

कंट्रोल रूम 0522-2721153

[@ComtaxU](https://www.comtaxupgst.com)